**UPGK010023812026**

**न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1012/2026,

माया देवी पत्नी स्व0 गुलाब, उम्र 70 वर्ष,

निवासिनी- ग्राम सरैया पहाडी लाईन (मरचहवॉ बसवारी टोला सरदार नगर), चौरीचौरा, जिला- गोरखपुर। **.....आवेदिका/अभियुक्ता,**

**प्रति**

उत्तर प्रदेश राज्य **.....प्रतिपक्षी,**

अपराध संख्या- 73/2026,

धारा- 274 भारतीय न्याय संहिता व 60 आबकारी अधिनियम,

थाना- चौरीचौरा, जनपद- गोरखपुर।

**18.03.2026**

**आदेश**

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदिका/अभियुक्ता माया देवी, जो अपराध संख्या- 73/2026, धारा- 274 भारतीय न्याय संहिता व 60 आबकारी अधिनियम, थाना- चौरीचौरा, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 28.02.2026 को प्रथम सूचनाकर्ता उप-निरीक्षक शिव कुमार यादव परीक्षा ड्यूटी में ग्राम इब्राहिम थाना चौरीचौरा गोरखपुर में मामूर थे, तभी प्रभारी निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि आबकारी निरीक्षक अर्पित शुक्ला मय हमराहियान थाना हाजा उपस्थित है और अवैध शराब निष्कर्षण की रोक थाम हेतु क्षेत्र में दविश देना चाहते है। सभी सरैया चौराहे पर एकत्रित हुए, तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि ग्राम सरैया के पहाड़ी लाइन में एक महिला अपने परजनों के साथ मिलकर अपमिश्रित कच्छी शराब बनाने व बेचने का कार्य करती है। उक्त स्थान पर गये और उक्त स्थान से एक महिला को गिरफ्तार किया गया जिनसे उनका नाम पता पूछा गये तो अपना नाम माया देवी पत्नी स्व0 गुलाब बताया। एक अन्य पुरूष पुलिस बल को देखकर भाग गया जिसका नाम पकड़ी गई महिला ने राजेश कुमार उर्फ भुकोल पुत्र स्व0 स्व0 गुलाब बताया। मौके से पुलिस बल द्वारा जामा तलाशी के दौरान उसकी 500 ग्राम नौसादर व 500 ग्राम यूरिया तथा 45 लीटर अवैध कच्ची शराब अपमिश्रित बरामद हुआ। मौके से बरामद नौसादर व यूरिया के करीब पचास-पचास ग्राम नमूना माल एक सफेद कागज पर रखकर वास्ते परीक्षण हेतु अलग किया गया तथा बरामद अपमिश्रित कच्ची शराब से भरे हुए प्लास्टिक के डिब्बों को कब्जा

पुलिस लेते हुए सभी डिब्बों से लगभग 100/100 मिली के कुल लगभग 900 मिली एक सफेद रंग के कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरकर कपड़े से सिलकर नौशादर, यूरिया व अवैध कच्ची शराब को सील सर्वमोहर करते हुए मय नमूना माल/मुहर मौके पर ही तैयार किया गया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण कथन जो प्राथमिकी में अंकित है प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। तथाकथित घटना दिनांक 28.02.2026 की कही जाती है जिसकी प्राथमिकी दिनांक 28.02.2026 को समय करीब 19:59 बजे अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम व 274 बी0एन0एस0 के तहत अंकित किरायी गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। आवेदिका/ अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। आवेदिका/अभियुक्ता 70 वर्षीय वृद्ध महिला है तथा शुगर की क्रानिक मरीज है तथा चलने फिरने में असमर्थ है जेल में बन्द रहने से उसका समुचित ईलाज नहीं हो पायेगा। हरगिज आवेदिका के पास से कोी बरामदगी नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मुकदमा उक्त में अभी एफ0एस0एल0 कैमिकल ऐनलेसेस की रिपोर्ट नहीं आयी है कि उक्त पदार्थ नकली या जहरीली है। आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर या कहीं भी शिकायत नहीं किया है कि उक्त पेय पदार्थ पीने से किसी की मृत्यु/जनहानि हुई है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदिका/अभियुक्ता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके पास से लगभग 500 ग्राम नौसादर व 500 ग्राम यूरिया तथा 45 लीटर अवैध कच्ची शराब अपमिश्रित बरामद हुआ। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदिका/अभियुक्ता की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

बरामदशुदा कथित अवैध शराब के अपमिश्रित व अपायकर होने के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई जॉच रिपोर्ट इस प्रक्रम पर अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नहीं की गयी है। कथित बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से कथित बरामदगी को फर्जी एवं कपोलकल्पित होना कहते हुए उसे इस मामले में गलत रूप से लिप्त किया जाना कहा गया है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदक/ अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये

जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवम् अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आवेदिका/अभियुक्ता माया देवी का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 50,000-/-रूपये का स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाय-

1- आवेदिका/अभियुक्ता निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगी,

2- आवेदिका/अभियुक्ता वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगी,

3- आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या बचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदिका/अभियुक्ता विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी,

5- आवेदिका/अभियुक्ता विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदिका/अभियुक्ता को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
18 मार्च, 2026

**(राज कुमार सिंह)**
**सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.18 16:23:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court